सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 395 राँची, सोमवार, 13 मई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

09 मई, 2019

संख्या-5/आरोप-1-126/2017-1981 (HRMS)-- श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दारू, हजारीबाग के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक-901, दिनांक 26.07.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- 'क' में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैः-

आरोप सं०-1. श्रीमती सीमा कुमारी प्रखण्ड विकास पदा० दारू हजारीबाग के पद पर दिनांक 22.10.2014 से पदस्थापित है। इनके द्वारा दारू प्रखण्ड के लिए निर्मित पर्यवेक्षक आवास, वर्ग-iii कर्मी के आवास तथा वर्ग-IV कर्मी के आवास भवन का अधिग्रहण अपने कार्यालय पत्रांक-259, दिनांक 25.02.2015 से किया गया। अधिग्रहित भवन में आवासन नहीं किये जाने के कारण आवासन हेतु नवनिर्मित भवनों का खिड़की की क्षति हुई एवं दरवाजे की चोरी हो गयी।

आरोप सं०-2. दिनांक 26.04.2016 को झारखण्ड विधान सभा की प्राक्कलन समिति के माननीय सदस्यों के द्वारा दारू प्रखण्ड के नवनिर्मित भवन के खिड़की दरवाजे इत्यादि अज्ञात लोगों द्वारा उखाड़ लिये जाने संबंधी मामला संज्ञान में आने के बावजूद दिनांक 20.05.2016 को लगभग एक माह के बाद श्री सेवा यादव, चौकीदार के प्रतिवेदन को ही थाना प्रभारी को मात्र अग्रसारित किया गया।

आरोप सं०-3. अपने कार्यालय पत्रांक-317, दिनांक 20.05.2016 के द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में इस आशय का उल्लेख नहीं किया गया है कि चोरी की घटना कब हुई, किस परिस्थिति में हुई तथा दिनांक 26.04.2016 को झारखण्ड विधान सभा की प्राक्कलन समिति के माननीय सदस्यों के द्वारा संज्ञान में आने के बावजूद लगभग एक माह के बाद सामान्य तौर पर चौकीदार के सूचना दिनांक 20.05.2016 को मात्र जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी को अग्रसारित करने के औचित्य एवं वस्तुस्थिति को उप विकास आयुक्त, हजारीबाग को भेजे गये प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा सरकारी आवास में आवासन नहीं किया गया एवं अन्य कर्मियों को भी आवासित करने हेतु प्रयास नहीं किया गया तथा मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए विलंब से प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई।

आरोप सं०-4. वर्तमान में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5542, दिनांक 19.04.2017 की प्रति ज्ञापांक-532/स्था0, दिनांक 22.04.2017 के द्वारा प्रेषित है तथा पुनः ज्ञापांक-617/स्था०, दिनांक 11.05.2017 के द्वारा निदेश दिया गया कि अपने निर्धारित प्रखण्ड मुख्यालय में आवासन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त पत्र के आलोक में इन्होंने पत्रांक-409, दिनांक 20.05.2017 के द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में यह अंकित किया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का सरकारी आवास निर्मित नहीं रहने की स्थिति में प्रखण्ड कार्यालय परिसर में आवासन करती है जबकि प्रखण्ड परिसर के अन्तर्गत कोई आवासीय भवन निर्मित नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इनके द्वारा कार्यालय के ही किसी कमरे में आवासन किया जाता है तथा सरकारी भवन में आवासन करने के बावजूद इनके द्वारा आवास भत्ता की निकासी की जा रही है, जो नियमसंगत नहीं है। वरीय पदाधिकारी, दारू प्रखण्ड-सह-तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग, जो प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, हजारीबाग के भी प्रभार में हैं, के पत्रांक-243/सी०, दिनांक 22.01.2017 से भी यह स्पष्ट हुआ है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दारू, हजारीबाग प्रखण्ड कार्यालय, दारू के कार्यालय भवन के एक कमरे में ही आवासन करती हैं। दिनांक 19.04.2017 को अपराह्न 05:10 बजे श्री रामनिवास यादव, भा०प्र०से०, परीक्ष्यमान, सहायक समाहर्ता तथा सहायक दण्डाधिकारी, हजारीबाग एवं उप विकास आयुक्त, हजारीबाग द्वारा संयुक्त रूप से किये गये औचक निरीक्षण के पश्चात् समर्पित प्रतिवेदन से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दारू को प्रखण्ड कार्यालय के कमरे में आवासन करने तथा आवास निर्मित रहने के बावजूद कोई भी पदाधिकारी/कर्मी आवास में नहीं रहने की पुष्टि होती है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा सरकारी आदेश तथा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना है।

आरोप सं०-5. नवनिर्मित आवासीय भवनों के खिड़की दरवाजे चोरी होने के तुरंत बाद इसका संज्ञान लेते हुए अपेक्षित कार्रवाई नहीं किये जाने तथा कर्मियों के आवासीय भवन में नहीं रहने के बिन्दु पर विभागीय निदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-2129/विकास, दिनांक 26.10.2016 के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का भ्रामक एवं तथ्यों से परे जवाब समर्पित किया गया है, अतः इनका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम- 3(1)(i) एवं (ii) के सर्वथा प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10349, दिनांक-05.10.2017 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा विभागीय पत्रांक-5615, दिनांक 27.07.2018 द्वारा स्मारित किया गया। इसके अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्र, दिनांक 27.08.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

श्रीमती कुमारी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7467, दिनांक 04.10.2018 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गयी तथा पत्रांक-231, दिनांक 10.01.2019 द्वारा इसके लिए स्मारित किया गया। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-67/स्था०, दिनांक 11.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा अपने मंतव्य में श्रीमती कुमारी द्वारा आरोप सं०-1 के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार्य योग्य तथा शेष आरोपों के संबंध में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

अतः, समीक्षोपरांत, उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती सीमा कुमारी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दारू, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के तहत ''निन्दन'' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	SEEMA KUMARI 110061163093	श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दारू, हजारीबाग को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के तहत ''निन्दन'' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 395 -- 50